

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्‍व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 184

दायरा तिथि : 25.04.2025

आदेश तिथि : 21-05-2025

प्रार्थी :-

मनरूपा राम पुत्र नेतीराम जाति मीणा निवासी गोल तहसील सिरौही  
ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012  
बाबत रेकर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 21-05-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 370 रकबा 1.11 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 350, 356, 369, 377 रकबा क्रमशः 3.943 हैक्टर, 0.1400 हैक्टर, 0.2800 हैक्टर एवं 33.3800 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक भू-अभिलेख नाना को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/1068 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही इस हेतु इकलौता स्रोत है।
  2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्रोतों में से निकटतम है।
  3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
- यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	356	0.14 हैक्टर	बा.सो.	28X9=252 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	369	0.28 हैक्टर	बा.सो.	36X9=324 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
3	377	33.38 हैक्टर	गै.मु. लीलोडा	641X9=5769 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि निरीक्षक भू-अभिलेख नाना द्वारा प्रस्तावित भूमि की जी.एल.सी. दर 151310/- रुपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक कमिश्नर एवं पदेन

उपखण्ड अधिकारी, बाली ने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 370 रकबा 1.11 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पेज लगातार.....02

// 02 //  
**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gens No 2025 / 184**  
 अनवरत मनरूपा राम बंताग सरकार  
 अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1968

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1968 संशोधन, 2012 संपादित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा द्वारा संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (सुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (सुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(62) राज-8/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शर्तियों के अनुसारण में प्रार्थी की खातेवासी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 370 रकबा 1.11 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 369 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 377 रकबा 33.38 हैक्टर में से 252+324+5769=6345 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति वर्गमी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 151310/-रूपये प्रति हैक्टर से द्युगुणी राशि	नाम खातेदार
356	0.14 हैक्टर	28X9=252 वर्गमीटर	10	4032X2=8064	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
369	0.28 हैक्टर	36X9=324 वर्गमीटर	10	5184X2=10368	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
377	33.38 हैक्टर	641X9=5769 वर्गमीटर	10	92304X2=184608	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
		कुल 6345 वर्गमीटर		कुल 203040/- रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 203040/- (अक्षरे दो लाख तीन हजार चालीस रूपये मात्र ) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसाल फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2025/ 563 - 567  
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक मनरूपा राम पुत्र नेतीराम जाति मीणा निवासी गोल तहसील सिरोही को सूचनार्थ।

(दिशि विश्वादेव)  
**सहायक उपखण्ड अधिकारी, बाली**  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली  
 दिनांक 21-05-25

**सहायक उपखण्ड अधिकारी, बाली**  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 28/04/2025 12:58:11 PM


जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : नाना

पट्टा नं. हल्का : कोठार

ग्राम : कोठार



Ex-court

ICR नाना

Scale 1:6000

खसरा संख्या : 177 क्षेत्रफल : 33.3800 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1

सहायक कमिश्नर एवं प्रमुख अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

*(Signature)*  
तहसीलदार  
बाली जिला-पाली (राज.)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।